समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

R - 1732 - II/13

महेश प्रसाद सोनी आत्मज जमुना प्रसाद सोनी
निवासी बजरिया मुहल्ला वार्ड नं0 15 राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .... निगराकार

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. श्रीमती केशरबाई पुत्री शिवदयाल ब्राम्हण
निवासी ग्राम जटकरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0
3 श्रीमती पूना बाई बेवा प्यारे लाल ब्राम्हण
निवासी मंडी चौक बाजार छतरपुर
जिला छतरपुर म0प्र0
4. राजाराम आत्मज नत्थू ब्राम्हण
निवासी ग्राम जटकरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0
5. श्रीमती नीता शर्मा पत्नी कल्लू शर्मा
निवासी बमीठा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0
6. श्रीमती सावित्री पुत्री भइया राम ब्राम्हण
निवासी ग्राम जटकरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0
7. सत्यनारायण आत्मज राम प्रसाद ब्राम्हण
निवासी ग्राम जटकरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0
8. नंदकिशोर आत्मज भगवानदास ब्राम्हण
निवासी ग्राम जटकरा तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0.. गैरनिगराकारगण

श्री मुजीबुल हक, अभि0
द्वारा आज दि. 6.5.13 को
प्रस्तुत
6.5.13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू रा0सं01959 विरूद्व आदेश न्यायालय श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील राजनगर जिला छतरपुर के रा0 प्र0क0 – 3410/बी–121/2011 – 12 आदेश दिनांक 15/2/2013 से संबंधित

मान्यवर,

निगराकार का निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले का संक्षिप्त विवरण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1732-दो/2013 जिला छतरपुर महेश प्रसाद सोनी विरूद्ध म.प्र. शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 3410/बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 15-02-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-05-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

06/2/19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 06/02/19
सदस्य